

चन्द्रकान्ति देवी रमावती देवी, पी०जी० कालेज,
दीवान बाजार, गोरखपुर
समझौता ज्ञापन
मेमोरेण्डम आफॅ अण्डर स्टैडिंग

प्रथम पक्ष - चन्द्रकान्ति देवी रमावती देवी पी.जी.कालेज दीवान बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

द्वितीय पक्ष - आधार शिला, गोरखपुर, (कैप्प कार्यालय, बलदेव प्लाजा), गोलघर-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

यह समझौता ज्ञापन में प्रथम पक्ष चन्द्रकान्ति देवी रमावती देवी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, दीवान बाजार, गोरखपुर के मध्य 'एक कदम संस्थान के विकास की ओर' के अन्तर्गत विचार गोष्टी, प्रतियोगिता एवं महापुरुषों की जयन्ती पर संयुक्त रूप से सम्मिलित होने की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित शर्तों के साथ निष्पादित किया जारहा है।


परिभाषाएँ -

- (क) तात्पर्य संस्थान के विकास में सहयोग से है।
(ख) समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) सोसाइटि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत से है।

- (1) चन्द्रकान्ति देवी रमावती देवी पी. जी. कालेज, गोरखपुर इसका पूर्ण स्वामी है उसे उसके उपयोग एवं विकास करने का पूर्ण अधिकार है। उसके बिना अनुमति के द्वितीय पक्ष 'आधारशिला' इसका उपयोग नहीं कर सकता है।
- (2) इस संस्थान में आयोजित कार्यक्रमों, उत्सवों, विचार गोष्टियों आदि में आधारशिला को आमन्त्रित करने पर वह शामिल हो सकता है।
- (3) आधारशिला के सदस्यों का आचरण एवं कार्य संस्थान के हित एवं उत्थान में होगा।
- (4) आधारशिला द्वारा प्रथम पक्ष चन्द्रकान्ति देवी रमावती देवी पी. जी. कालेज, दीवान बाजार के परिसर या सभागार से अनुमति प्राप्त कर कोई कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा एवं साफ-सफाई का सम्पूर्ण ध्यान द्वितीय पक्ष आधारशिला के दायित्व को होगा।

अतः यह मेमोरेण्डम आफॅ अण्डरस्टैडिंग पक्षधरों में मध्य बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से दिनांक 26-10-2023 को निम्न लोगों के समक्ष निष्पादित किया गया कि सनद रहे और जरूरत पर काम आवे।

(प्रथम पक्ष)


26/10/23


प्राचार्य

चन्द्रकान्ति देवी रमावती देवी पी.जी.कालेज

दीवान बाजार, गोरखपुर

प्राचार्य
चन्द्रकान्ति रमावती देवी प्राचार्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

(द्वितीय पक्ष)


26/10/23
संरक्षक/अध्यक्ष/सचिव
आधार शिला
गोरखपुर

